	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है। पत्रावली वास्ते आदेश मे दिनांक 6-11-25 को पेश हो।	
6-11-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 20-11-25 को पेश की जावे	
20-11-25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे कार्य व्यस्ता अधिक होने से आदेश नही लिखा जा सका है, प्रकरण मे बहस सुने हुए एक माह से अधिक समय होने से पुन: मजिद बहस सुनी गई दावा वादी का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी),बेगूँ जिला चित्तौड़गढ राज॰
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा पत्र संख्या :– 81/2024

सोलाल पिता कजोड धाकड निवासी ऑवलहेडा तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता भीमा धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
2. मोहनलाल पिता बालू धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
3. नारायण पिता वरदा धाकड निवासी ऑवहलेडा तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बेगूँ
5. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– पिंकी शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 20.11.2025

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम ऑवहलेडा पटवार मण्डल ऑवलहेडा में स्थित कृषि आराजीयात खाता संख्या 497 की खसरा संख्या 1004, 1024, 1366, 1500, 1502, 255, 981 कुल कीता–7 कुल रकबा 1.8780 हैक्टर आराजीयात वादी के स्वामित्व आधिपत्य की पुश्तैनी भूमि स्थित है। उक्त भूमि पर वादी के अलावा अन्य किसी का कोई हक अधिकार व हिस्सा नहीं है। वादी उक्त आराजीयात पर काबिज होकर शांतिपूर्वक इसका उपयोग उपभोग कर आ रहा है।

यह कि वादी की उक्त कृर्षि आराजीयात के खसरा संख्या 1024 रकबा 0.5260 हैक्टर भूमि के दक्षिण दिशा में रास्ता स्थित है। वादी ने रास्ता के पास ही अपनी निजी एवं कृर्षि आवश्यकताओं के लिए पत्थर की कच्ची कोट बनाकर 09 आराजी भूमि का एक बाडा बना रखा है। वादी अपने उक्त बाडे मे प्शुओं का चारा तथा अपने स्वयं के परिवार की आवश्यकता के लिए सब्जी का उत्पादन करता है।

यह कि प्रतिवादीगण वादी से ईष्टर्या रखते है एवं वादी से पुरानी दुश्मनी होने के कारण तथा प्रतिवादीगण के पास जनबल अधिक होने से तथा प्रतिवादीगण वादी के मुकाबले में आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न होने के कारण वादी की भूमि को छीन लेने की बदनियति आ गयी है इसलिए विपक्षीगण जबरन ताकत के बल पर तथा कपटपूर्वटक जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज होने की झुंठी अफवाह फैलाकर तथा प्रार्थी को पुलिस के माध्यम से दबाव में लेकर उक्त आराजी खसरा संख्या 1024 रकबा 0.5260 हैक्टर भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे है एवं आये दिन वादी को उक्त भूमि के शांतिपुर्वक उपयोग उपभोग करने में बाधा उत्पन्न कर रहे है, जब भी वादी अपने खेतो की भूमि को हांकने जोतने फसल लाने ले जाने के लिए आते जाते है तो सभी प्रतिवादीगण वादी के साथ गाली गलोच करते है इन्हें परेशान करते है तथा वादी से आराजी खसरा संख्या 1024 रकबा 0.5260 हैक्टर भूमि जमीन जबरन छीन लेने की धमकी देते है। प्रतिवादीगण कानून विरूद्ध कार्य कर रहे है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है।

यह कि विवादित आराजीयात वादी की जायदाद पर कब्जा करने की गलत नियत प्रतिवादीगण रखते हुए आये दिन वादी को परेशान एवं प्रताडित कर रहे है, प्रतिवादीगण के इस तरह के कानून विरूद्ध कार्य को रोके जाने के लिए प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है कि वादी की वाद वर्णित आराजीयात पर वादी के भूमि के उपयोग उपभोग करने मे फसल लाने ले जाने में हांकने जोतने के लिए जाने आने में एवं रास्ते पर से निकलने में एवं उक्त भूमि पर प्रार्थी द्वारा बनाये गये बाडे पर एवं बाडे के उपयोग करने पर विपक्षीगण किसी प्रकार की बाधा एवं व्यवधान और कानून विरूद्ध कार्यवाही नहीं करें एवं न ही अन्य किसी से भूमि के उपयोग उपभोग करने में कोई हस्तक्षेप एवं विवाद उत्पन्न नहीं करें न उक्त आशय का कार्य किसी अन्य से करावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा के आदेश द्वारा पाबन्द कराया जाकरवादी की उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात के सम्बन्ध में स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश पारित कर वादी के अधिकारो के सुरक्षा प्रदान कराया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत हैं। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है तो प्रतिवादीगण वादी की भूमि को छीनकर बेदखल कर सयकते है, जिससे वादी को अत्याधिक आर्थिक एवं कानूनी नुकसान होगा जिसकी अर्थ में भी पूर्ति नहीं की जा सकती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद कारण दिनांक 10.09.2024 को प्रतिवादीगण कपटपूर्वक जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज होने की झूंठी अफवाह फैलाकर प्रार्थी को पुलिस के माध्यम से दवाव में लेकर प्रार्थी को उक्त आराजी खसरा संख्या 1024 रकवा 0.5260 हैक्टर भूमि से वेदखल करने पर आमादा होने एवं आये दिन वादी को उक्त भूमि के शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग में वाधा पैदा करने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। वर्णित कृषि माननीय न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से यह वादपत्र श्रीमान के श्रवणाधिकार में होने से पेश है। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी वनाये गये है।

अतः वादी न्यायालय श्रीमान आपसे निम्न अनुतोप प्राप्त करने का अधिकारी है कि :–

(क) कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतवादी सं0 1 लगायत 4 ग्राम ऑवलहेडा पटवार मण्डल ऑवलहेडा में स्थित कृर्षि आराजीयात खाता संख्या 497 की आराजी खसरा संख्या 1024 रकवा 0.5260 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादीगण वादी के भूमि के उपयोग उपभोग करने में, फसल हांकने जोतने के लिए जाने आने में किसी प्रकार की वाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और नही अपने परिवार नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें, उक्त आशय की डिक्री वादी के पक्ष में प्रदान करायी जावें।

(ख) कि अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो धारा 209 के अन्तर्गत वो भी प्रदान किया जावें।

(ग) कि वादी को प्रतिवादीगण से वाद व्यय एवं अधिवक्ता शुल्क भी प्रदान कराया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, दावा पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, 3 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा जारी किये गये। प्रकरण मे प्रतिवादी सं0 4 व 5 न्यायलय में उपस्थित आये किन्तु जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने से उनका जवाब बंद किया गया। पत्रावली में वादी की ओर से साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी सोलाल पिता कजोड धाकड का पेश किया तथा स्वतंत्र गवाह हेतु साक्ष्य शपथ पत्र भोजालाल बलाई का प्रस्तुत किया व कालुराम पिता देवीलाल धाकड का पेश किया गया। वादी द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र पर मुख्य परीक्षण में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया मामला एकपक्षीय का होने से जिरह निल रहीं एवं पुनः परीक्षण भी निल रहा है। साथ ही मुख्य परीक्षण दोनो स्वतंत्र गवाह भोजराज पिता रोडालाल बलाई व गवाह कालुराम पिता देवीलाल धाकड के बयानो को कलमबद्ध करा वादी की साक्ष्य पूर्ण की गई।

दावा पत्रावली में वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया। वादी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस वादपत्र के अनुसार करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने का निवेदन न्यायालय के समक्ष किया है। पत्रावली पर बहस अधिवक्ता वादी की एक तरफा सुने जाने के पश्चात पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेज का गहन अवलोकन हमारे द्वारा किया गया। वादी द्वारा स्वयं के साक्ष्य शपथ पत्र को प्रदर्श– 1 अंकित कराया गया जो कि वादपत्र के अनुसार ही है। प्रदर्श–2 नकल जमाबंदी मौजा ऑवलहेडा की संवत 2078 की है जिसमें दर्ज आराजी संख्या 1004, 1024, 1366, 1500, 1502, 255, 981 कुल कीता–7 कुल रकबा 1.8780 हैक्टर भूमि के खातेदार वादी सोलाल पुत्र कजोडा धाकड अंकित दर्ज है। पत्रावली मे प्रस्तुत नकल आराजी नक्शाट्रेस प्रदर्श–3 एवं वादी सोलला का आधार कार्ड की प्रति प्रदर्श–4 होकर शामिल पत्रावली है। वादी वाद वर्णित कृषि आराजीयात के खातेदार काश्तकार है, तथा जिस आराजी संख्या 1024 के लिए प्रतिवादीगण को पाबंद कराना चाहते है वह भी वादी के खातेदारी की भूमि है, जिसे सुरक्षित रखने का जिम्मा भी वादी का है। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। वादी के खातेदारी की मौजा ऑवलहेडा की कृषि आराजी 1024 रकबा 0.5260 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1, 2, व 3, को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी के भूमि के उपयोग उपभोग करने में फसल हांकने जोतने के लिए आने जाने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने परिवार, नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें। वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

वाद पत्र संख्या :– 86 / 2024

सोलाल पिता कजोड धाकड निवासी ऑवलहेडा तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. गोपाल लाल पिता भीमा धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
2. मोहनलाल पिता वालू धाकड निवासी ऑवलहेडा तह0 बेगूँ
3. नारायण पिता वरदा धाकड निवासी ऑवहलेडा तह0 बेगूँ
4. श्री भूमिधारी जरिये श्रीमान तहसीलदार महोदय बेगूँ
5. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 188 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री पिंकी शर्मा एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ..... की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 20.11.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अंकित डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। वादी के खातेदारी की मौजा ऑवलहेडा की कृषि आराजी 1024 रकबा 0.5260 हैक्टर भूमि पर प्रतिवादीगण संख्या 1 ,2 व 3 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रतिवादीगण वादी के भूमि के उपयोग उपभोग करने में फसल हांकने जोतने के लिए आने जाने में किसी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उत्पन्न करें और न ही अपने परिवार, नौकर या अन्य व्यक्ति से करावें। वादी का वादपत्र डिक्री किया जाता है। डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 20.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई है।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ